

डिकरी व मुकदमें इब्दाई
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर भीना ,आर.ए.एस

मु० उ०० वीरेन्द्र सिंह वगै० बनाम पूरन सिंह वगै०


दावा बाबत 53,188 रा०का० अधिनियम.

मुकदमा नंबर 16/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-व-रु- व हाजरी वादी
मिनजानिब मुददत व मिनजानिब मुददालय पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है
कि

वादी व प्रतिवादी को कुराजात प्रस्ताव दिनांक 20.06.2025 के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 20.06.2025 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 20.06.2025 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काशत /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/स्कवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

शहर ----- क्षेत्र ----- मुबलिया ----- बाबत ----- खर्चा इस मुकदमें के मयसुदत व
दसबत व मुहर अदालत के आज की तारीख व सुलयाबी तक ----- की अदा करें।
14/07/2025 को जारी की गई।



मुहर

दस्तखत

14/7/25

मुददई	रूपया	पैसा	मुददालय	सहायक कलक्टर
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर दावत इजराय हुकम नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बवत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक	सहायक कलक्टर नदबई
मीजान			मीजान	



1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
2. सुरेश चंद पुत्र भगवत जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
3. सोहनलाल पुत्र भगवत जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
4. गंगाराम उर्फ गंगो पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
5. प्रेमलता पुत्री बल्ली जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
6. रामवती पुत्री बल्ली जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
7. प्रेमसिंह पुत्र बल्ली जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
8. किस्तूरी पत्नी बल्ली जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
9. मंझा पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
10. पुरुषोत्तम पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
11. अमरसिंह मृतक बल्ली जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
- 11/1. सुनील पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
- 11/2. प्रियंका पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।

- वादीगण

बनाम

1. पूरनसिंह पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम उटारदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. एक्सिस बैंक शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।
3. पीएनबी शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।
4. एसबीआई शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

14/7/25

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.
16/25

रजू दिनांक
03.03.2025

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
14.07.2025

उनवान

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
2. सुरेश चंद पुत्र भगवत जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
3. सोहनलाल पुत्र भगवत जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
4. गंगाराम उर्फ गंगो पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
5. प्रेमलता पुत्री बल्ली जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
6. रामवती पुत्री बल्ली जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
7. प्रेमसिंह पुत्र बल्ली जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
8. किस्तूरी पत्नी बल्ली जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
9. मंझा पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
10. पुरुषोत्तम पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
11. अमरसिंह मृतक बल्ली जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
- 11/1. सुनील पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।
- 11/2. प्रियंका पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी उटारदा तहसील नदबई (भरतपुर)।

— वादीगण

बनाम

1. पूरनसिंह पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम उटारदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. एक्सिस बैंक शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।
3. पीएनबी शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।

14/7/25

4. एसबीआई शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

दावा- 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 14.07.2025 को श्री गंगाधर मीना सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 1198 रकबा 0.32, 1254 रकबा 0.42, 1255 रकबा 0.57, 1259 रकबा 0.56, 1260 रकबा 0.61, 1263 रकबा 0.50, 1265 रकबा 0.51, 1267 रकबा 0.32, 1317 रकबा 0.16, 1318 रकबा 0.04, 1454 रकबा 0.51, 1455 रकबा 0.80, 1457 रकबा 0.71, 1458 रकबा 0.69 किता 14 कुल रकबा 6.72 हैक्ट वाके ग्राम उतारदा तहसील नदबई तहसील नदबई में स्थित है। जो कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी का रकबा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबाल दावा पेश किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा वादपत्र मुताबिक कुरारिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई।

वादी व प्रतिवादी को कुराजात प्रस्ताव दिनांक 20.06.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 20.06.2025 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 20.06.2025 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायिक मुद्रा से जारी की गई।



14/7/25
(गंगाधर मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
नदबई विवा प्रकरण